न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **49/2017** अपील (राजस्व)

1. श्री बाघ सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री खुमाणसिंह सिसोदिया निवासी पदमपुरा, पंचायत समिति शिशवी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री माना कामलिया पिता श्री कालु कामलिया निवासी पदमपुरा, पंचायत समिति शिशवी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर राज. नामा.सं. 56 दिनांक 02.12.1978

उपस्थित : श्री रजनीश चित्तौडा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
श्री मनोज कुमार पंवार पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—16.12.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश न्याय एवं विधि के विपरीत है। दिनांक 02.12.78 को खोला गया नामान्तकरण अपने क्षैत्राधिकार से परे खोला गया है। ऐसे गलत एवं कानून के खिलाफ खोले गये नामान्तकरण आदेश की अपील किये जाने की कोई मयाद नहीं हो सकती है, क्योकि उक्त निर्णय अपने आप में प्रथम दृष्टया कतई गलत व कानून के खिलाफ होकर फर्जी निर्णय है। राजस्व ग्राम पदमपुरा पटवार हल्का शिशवी के आराजी नं. 58 रकबा 1.0800 है. भूमि पर अपीलान्ट अपने परिवार सहित पिछले 35 वर्षों से ज्यादा समय से निवास कर रहा है। उक्त भूमि बिलानाम होकर खाते में दर्ज थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों ने त्रुटि व सहवन से रेस्पोडेन्ट के नाम पर दर्ज कर दी जबकि

उक्त आराजी भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलान्ट के नाम पर नामान्तकरण नहीं खोल कर रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम पर खोल दिया गया। जो अपीलान्ट के हक व हितों के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। राजस्व कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो का कृत्य गलत एवं अवैध होकर अपीलान्ट के अधिकारो के मुकाबले शुन्य व वोईड हैं। राजस्व अधिकारीयो द्वारा केवल सक्षम न्यायालय के आदेश, विरासत, बिकाव इन तीन परिस्थितियो में ही राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकारी हैं। हस्तगत प्रकरण में इन तीन में से कोई भी परिस्थिति नहीं होते हुए भी भूमि का गलत अंकन किया गया हैं। अधिनस्थ तहसीलदार व पटवारी ने कुछ भी वास्तविकता की जानकारी कर नामान्तरकरण खोले जाने का प्रयास किया जाता है तो इस प्रकार का गलत एवं फर्जी नामान्तरकरण नहीं खोला जाता। अपीलान्ट जो कि अशिक्षित ग्रामीण किसान है उन्हे किसी प्रकार की कानुनी जानकारी नहीं हैं। उक्त जानकारी हाल ही में अपने परिचित द्वारा कानुनी राय लेकर रेकार्ड की नकले निकलवायी तो पता चला कि राजस्व अधिकारीयो ने फर्जी नामान्तरकरण अपीलान्ट के कब्जे रहते रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम खोल दिया। जिसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 का नाम खाते में अंकित हुआ जिसकी नकल हेतु अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल नामान्तरकरण की प्राप्त की गई एवं अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.78 को खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। अपने जवाब में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा। अपीलान्ट राजपुत जाती का होकर अपने धन बल व भुजबल के आधार पर रेस्पोडेंट को मौके से बेदखल करना चाहता हैं। इस गरज से वर्ष 2017 में अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट के साथ में लड़ाई झगड़ा किया। और कब्जा करने की कोशिश कर यह झुठी अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। अपीलीय नामान्तरकरण सक्षम प्राधिकारी के आदेश से रेस्पोडेंट के नाम पर आवन्टित की गई। तदुपरान्त नियमित रूप से खातेदारी अधिकारो सहीत कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट के कब्जे की पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को होने के बावजुद यह अपील गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पदमपुरा पटवार हल्का शिशवी के आराजी संख्या 58 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के आधिपत्य में होकर बिलानाम दर्ज थी। परन्तु राजस्व कर्मचारी व अधिकारी द्वारा गलत रूप से अपीलीय नामान्तरकरण से रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपने अधिकारो से परे जाकर अपीलीय नामान्तरकरण दर्ज किया गया। जबकि मौके पर आज भी अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर काबिज हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 02.12.78 को निरस्त फरमाया जाकर भुमि को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी के आदेश के तहत खोला गया हैं। उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम आवंटित हुई उसी आवंटन आदेश के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज हुआ हैं। आवंटित समय से ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट काबिज हैं। अपीलान्ट द्वारा भूमि को हडपने की नियत से यह अपील न्यायालय आप में प्रस्तुत की गई है जो गलत हैं अतः कृपया अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 56 का अवलोकन करने पर न्यायालय के ध्यान में आया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 माना पिता कालु के नाम उक्त भूमि अन्त्योदय आवंटन के तहत साबिक नम्बर से 5 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटीत की गई हैं, उसी आदेश की अनुपालना में अपीलीय नामान्तरकरण खोला गया हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 02.12.78 सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया हैं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.17 11:37:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: